भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5934

(जिसका उत्तर सोमवार 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है)

शहरी उपभोग में मंदी

5934. **श्री लालजी वर्मा:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ती लागत, वेतन दबाव और विनियामक कार्रवाइयों सहित शहरी उपभोग में मंदी के कारणों का आकलन किया है तथा इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी उपभोग में मंदी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सौंदर्य सेवाओं को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे है;

(ग) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में उपभोग को बढ़ावा देने हेतु प्रयोज्य आय बढ़ाने हेतु विशिष्ट नीतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मांग बढ़ाने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर में कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार का मांग बढ़ाने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दरों में कमी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) वर्ष 2023-24 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वर्ष 2022-23 के ₹6,459 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹6,996 हो गया है (सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्य को छोड़कर)। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, स्थिर वर्ष 2022-23 कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 8.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में यह 6.0 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि कुल मिलाकर, निजी उपभोग में कोई वास्तविक मंदी नहीं है।

सरकार मांग-समर्थक उपायों और संरचनात्मक सुधारों के संयोजन के माध्यम से निजी उपभोग, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विनिर्माण, सेवा, निर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी पहल शहरी आजीविका को बढ़ावा देती हैं और 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष 'शहरों को विकास केंद्र' के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखता है। बजट वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कर राहत उपाय और डिजिटल भुगतान, किफायती ऋण और लक्षित सब्सिडी (जैसे उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी) का निरंतर विस्तार प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) आय और उपभोग को और बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों का युक्तिकरण और आयात शुल्क विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में कमी की गई है। साथ ही, पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है, ताकि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल और उत्पाद की कीमतों में तेजी से वृद्धि के बीच उपभोक्ताओं के लिए खुदरा ईंधन कीमतों में वृद्धि को सीमित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है, जो वर्ष 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 4.6 प्रतिशत और वर्ष 2025-26 (अप्रैल-फरवरी) में 1.95 प्रतिशत हो गई है, जिससे वास्तविक क्रय शक्ति में सुधार हुआ है। इन उपायों से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सौंदर्य (ग्रूमिंग) सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में मांग को सहायता मिली है।

(ध) सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर को कम करने और प्रयोज्य आय को बढ़ाने के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शून्य कर स्लैब की सीमा को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹2.5 लाख से ₹4 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, धारा 87क के तहत छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि ₹12 लाख तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्तियों (मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख) को कोई आयकर न देना पड़े। साथ ही, सभी आय स्लैबों में कर दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसके तहत ₹24 लाख से अधिक की आय पर अब 30 प्रतिशत की उच्चतम दर लागू होगी। इन उपायों का उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना, प्रयोज्य आय बढ़ाना और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उपभोग मांग को बढ़ावा देना है।

(ङ) सितंबर 2025 में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों के आधार पर, जीएसटी दरों का व्यापक युक्तिकरण किया गया। इन सुधारों के अंतर्गत, एयर कंडीशनर, टेलीविजन (32 इंच से ऊपर), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशिंग मशीन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, छोटी कारों, मोटरसाइकिलों (350 सीसी तक) और तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं, साथ ही ऑटो पार्ट्स पर भी 18 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर लागू की गई है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर भी जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। इन उपायों से लागत कम होने, सामर्थ्य में सुधार होने और इन क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत के ऑटोमोटिव विनिर्माण आधार को मजबूती मिलेगी।
